

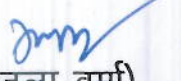
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-ए.4(ई)नि.प./890/2013/क.ले./एसएस-III/1988

दिनांक:- 5-7-18

कार्यालय आदेश

श्री कृष्ण कुमार कनिष्ठ लेखाकार (लिनक नं. 12996) को दिनांक 26.12.2017 से 15.02.2018 तक की अवधि का वेतन, पदस्थापित कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), हनुमानगढ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन के कारण समकक्ष पद रिक्त नहीं होने से आहरित नहीं किये जाने के फलस्वरूप सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हनुमानगढ में रिक्त कनिष्ठ लेखाकार पद के विरुद्ध वेतन आहरित करने एवं दिनांक 16.02.2018 से 19.02.2018 (4दिन) की अवधि में आदेशों की प्रतीक्षा में रहने के फलस्वरूप इस अवधि का वेतन सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हनुमानगढ से ^{आहरित} किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8) (बी) (III) के अन्तर्गत नियमित किया जाता है।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- ए.4(ई)नि.प./890/2013/क.ले./एसएस-III/1988
प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। :-

दिनांक :- 5-7-18

1. सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हनुमानगढ को भेज कर लेख है कि श्री कृष्ण कुमार कनिष्ठ लेखाकार को दिनांक 26.12.2017 से 19.02.2018 तक की अवधि का वेतन आहरित कर भुगतान करने श्रम करावें।
2. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय हनुमानगढ।
3. श्री कृष्ण कुमार कनिष्ठ लेखाकार सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हनुमानगढ।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी) कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. अति० निजी सचिव निदेशक महोदया।
6. गार्ड/रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)